2723 (19)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

- 2 SEP 2009

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 338473

मीरा देवी

कार्यालय का नाम उप निबन्धक, जोन नं. 2, कानपुर नगर

(1) प्रस्तुत दिनांक : 5–9–2009

(2) निष्पादन दिनांक : 5–9–2009

(3) लेखपत्र का प्रकार : विक्रय पत्र

(4) प्रतिफल : रूपया 3,40,000/–

(5) बाजारी मूल्य : रूपया 11,91,650/–

राम किशोरी मीरा देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

- 2 SEP 2009

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 338474

(6) प्रस्तुतकर्ता / विक्रेतागण के नाम व पता : श्रीमती राम किशोरी उर्फ बिटऊ वयस्क पुत्री सम्मीलाल व पत्नी बालकराम निवासिनी परसदेनपुरवा, बिन्दकी फतेहपुर व श्रीमती मीरा वयस्क धर्मपत्नी सन्तराम व पुत्री सम्मीलाल निवासिनी शिवपरसन का डेरा, मजरा, सरकण्डी, फतेहपुर

(7) क्रेता / किसके पक्ष में : रतन कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 7/141 ए–3, स्वरूप नगर कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धनंजय तिवारी वयस्क पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी निवासी 7/141 ए–3, स्वरूप नगर कानपुर नगर (अधिकृत द्वारा प्रस्ताव जो बोर्ड आफ डायरेक्टर की मीटिंग दिनांक 1–9–2009 को सर्वसम्पत्ति से पारित हुआ)

(8) सम्पत्ति का विवरण :

(1) स्थान : ग्राम नारामऊ बांगर, परगना व तहसील जिला कानपुर नगर

राम किशोरी

मीरा देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कानपुर नगर

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 441297

(2) खाता नं0 / चक नं0 : खाता संख्या 00008 की आराजी संख्या 10 मि. क्षेत्रफल 0.143 हेक्टयर का 1/6वां भाग क्षेत्रफल 0.0238 हेक्टेयर अर्थात 238.33 वर्गमीटर

(3) आच्छादित क्षेत्रफल : लागू नहीं है

(4) सीमा में सड़क की चौड़ाई : चारो ओर कृषि भूमि है

(5) प्रयोजन : आवासीय

(6) भवन के तलों की संख्या : x

(7) निर्माण : x

(8) निर्माण अवधि : x

(9) सीमाओं का विवरण :

खाता संख्या 00008 आराजी संख्या 10 मि. कुल क्षेत्रफल 0.143 हेक्टेयर का 1/6 भाग विक्रीत क्षेत्रफल 0.0238 हेक्टेयर अर्थात 238.33 वर्गमीटर स्थित मौजा नारामऊ बांगर कानपुर नगर की सीमायें :

रामकिशोरी मीरा देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 482528

उत्तर	: सरहद मौजा नारामऊ कछार
दक्षिण	: आराजी संख्या 27 व 28
पूरब	: आराजी संख्या 37 व 36
पश्चिम	: आराजी संख्या 12, 3 व आराजी सं. 9
(10) निर्धारित किराया	: X
(11) अनुमानित किराया	: X
(12) भवन / भूखण्ड / कृषि भूमि	: आवासीय भूखण्ड, जिसपर कोई निर्माण नहीं है, कार्नर का नहीं है और जिसके सामने पार्क नहीं है
(13) सीमा में सड़क की चौड़ाई व स्थिति	: चारो ओर कृषि भूमि है
9. स्टाम्प अदायगी का विवरण	:
(1) जिलाधिकारी दर भूखण्ड	: रूपया 5,000/–प्रति वर्गमीटर
(2) निर्धारित किराया	: X

रामकिशोरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 482529

(3) आच्छादित क्षेत्र के लिये निर्माण दर : X

(4) भूमि का मूल्य : 238.33 X 5000/- = 11,91,650/-रूपया

(5) निर्माण का मूल्य : X

(6) अवमानित मूल्य : X

(7) जिलाधिकारी दर से देय स्टाम्प देयता : रूपया 83,500/-

(8) कुल दिया गया स्टाम्प : रूपया 83,500/-

विक्रय–पत्र

श्रीमती राम किशोरी उर्फ बिटऊ वयस्क पुत्री सम्मीलाल व पत्नी बालकराम निवासिनी परसदेनपुरवा, बिन्दकी फतेहपुर व श्रीमती मीरा वयस्क धर्मपत्नी सन्तराम व पुत्री सम्मीलाल निवासिनी शिवपरसन का डेरा, मजरा, सरकण्डी, फतेहपुर ......विक्रेता/प्रथमपक्ष

मीरा देवी

राम किशोरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

6 SEP 2009

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 482530

एवं

रतन कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 7/141 ए–3, स्वरूप नगर कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धनंजय तिवारी वयस्क पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी निवासी 7/141 ए–3, स्वरूप नगर कानपुर नगर (अधिकृत द्वारा प्रस्ताव जो बोर्ड आफ डायरेक्टर की मीटिंग दिनांक 1–9–2009 को सर्वसम्पत्ति से पारित हुआ) ....'क्रेता' / द्वितीयपक्ष

(पक्षों का तात्पर्य उनके उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों आदि से है) ।

विदित हो कि आराजी संख्या 10 मि. क्षेत्रफल 1.430 हेक्टेयर स्थित ग्राम नारामऊ बांगर परगना तहसील व जिला कानपुर नगर के संक्रमणीय भूमिधर अवध नरायन उर्फ कल्लू पुत्र स्वर्गीय सम्मीलाल थे जिन्होने अपने जीवन काल में उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी वसीयत व गिफ्ट डीड निष्पादित नहीं की व उनके निधन के समय उनके वारिसान के रूप में उनकी सगी बहने

राम किशोरी   श्री रानी देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

-1 SEP

H 875540

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेतागण उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है एवं स्वर्गीय अवध नारायण के स्थान पर विक्रेतागण का नाम परवाना क्रमांक 8038/01/09/09 के द्वारा बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर अंकित हो चुका है ।

यह भी विदित हो कि उपरोक्तानुसार विक्रेतागण खाता संख्या 00008 की आराजी संख्या 10 मि. क्षेत्रफल 0.1430 हेक्टयर का 1/6वां भाग क्षेत्रफल 0.0238 हेक्टेयर अर्थात 238.33 वर्गमीटर स्थित ग्राम नारामऊ बांगर परगना व तहसील व जिला कानपुर के स्वामी, मालिक, काबिज दखील हैं । भूमि उपरोक्त विक्रेतागण की विरासतन सम्पत्ति है और विक्रेतागण/प्रथमपक्ष का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर आराजियात उपरोक्त पर बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । विक्रेतागण/प्रथम पक्ष का नाम आराजी उपरोक्त पर भू राजस्व विभाग के अभिलेखों में अंकित चला आ रहा है और प्रथम पक्ष ही आराजी उपरोक्त पर काश्त कर रहें हैं । प्रथम पक्ष के अलावा आराजी उपरोक्त का कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार नहीं है जो कि आज दिन तक हर प्रकार की देनदारी आदि से पाक व साफ है, कहीं किसी तौर पर दीगर जगह

राम किशोरी मीरा देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

-1 SEP 2000

H 875539

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रहन व बय व बन्धक आदि नहीं है और प्रथम पक्ष को आराजी उपरोक्त को विक्रय करने से किसी न्यायालय के निषेधाज्ञा आदेश द्वारा रोके नहीं गये है और आराजी उपरोक्त किसी की डिक्री में कुर्क व बरसरे नीलाम आदि नहीं है और आराजी उपरोक्त में कोई इल्लत इनकम टैक्स व सेल टैक्स व बैंक लोन या सीलिंग आदि की नहीं है और आराजी उपरोक्त किसी विभाग द्वारा अर्जित नहीं है और अर्जन सम्बन्धी कोई नोटिस आज दिन तक प्रथम पक्ष को किसी विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है । आराजी उपरोक्त आज दिन तक हर प्रकार की देनदारी आदि से पाक व साफ है और समस्त अधिकार मालिकाना बाबत आराजी उपरोक्त प्रथम पक्ष को हासिल है । यदि उपरोक्त बातों के विपरीत कोई बात पायी जावे तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी । चूँकि प्रथम पक्ष को इस वक्त रूपये की आवश्यकता है और आराजी उपरोक्त के विक्रय करने के अलावा अन्य कोई विकल्प प्राप्ति रूपया का नजर नही आता है अतः प्रथमपक्ष ने आराजी उपरोक्त के विक्रय करने की बाबत बात चीत की और प्रथम पक्ष की आराजी उपरोक्त के हर प्रकार से पाक व साफ होने व तनहा

रामकिशोर मीरा देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

1 SEP 2009

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 8755

अपनी मिल्कियत होने का यकीन व इत्मीनान दिलाने पर द्वितीय पक्ष रतन कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 7/141 ए–3, स्वरूप नगर कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धनंजय तिवारी वयस्क पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी निवासी 7/141 ए–3, स्वरूप नगर कानपुर नगर बकीमत मुबलिग 3,40,000/– रूपया में खरीद करना स्वीकार किया है कीमत निहायत उचित व बाजारू भाव है और इससे अधिक कीमत कोई निकट भविष्य में देने को तैयार नहीं है । अतः आराजी उपरोक्त को मय समस्त अधिकारों के मय दाखिली व खारिजी हाल व आयन्दा सबके सब को बजरूरत जायज मजकूरे वाला बिलएवज मुबलिग 3,40,000/– रूपया बदस्त द्वितीयपक्ष रतन कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 7/141 ए–3, स्वरूप नगर कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धनंजय तिवारी वयस्क पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी निवासी 7/141 ए–3, स्वरूप नगर कानपुर नगर के बय कतई किया और फरोख्त कर डाला और कुल विक्रय धन नीचे लिखे विवरणानुसार प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया अब कोई पैसा बाबत विक्रय धन जिम्मे खरीदार

रामकिशोरी श्रीराम देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

19 AUG 2009

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH H 864875

द्वितीय पक्ष पाना बाकी नहीं रहा और न आयन्दा को होगा और विक्रीत भाग आराजी को प्रथम पक्ष ने अपने कब्जा व दखल मालिकाना से निकाल कर बीच कब्जा व दखल मालिकाना खरीदार द्वितीय पक्ष को दे दिया । खरीदार द्वितीय पक्ष को अधिकार है कि विक्रीत भाग आराजी को जिस प्रकार से चाहें अपने प्रयोग में लावें, रहन व बय व हिबा व वसीयत आदि करें, किराये पर उठायें अथवा काश्त करें व करायें, जिस प्रकार से चाहें अपने उपयोग व उपभोग में लावें । यदि विक्रीत भाग आराजी अथवा उसका कोई अंश द्वितीयपक्ष के कब्जा व दखल मालिकाना से निकल जाये या उसकी बाबत आज दिन तक की बाबत कुछ अदा या सर्फ करना पड़े या कोई मुकदमा बसिलसिले मिलकियत लड़ना पड़े तो खरीदार द्वितीय पक्ष व उनके वारिसान व कायम मुकामान को अधिकार होगा कि अपना कुल या जुज विक्रय धन जैसी कि सूरत हो प्रथम पक्ष की चल व अचल सम्पत्ति से द्वारा न्यायालय वसूल कर लेवे और द्वितीय पक्ष खरीदार उपरोक्त को अधिकार है कि विक्रीत भाग आराजी पर अपना नाम भू राजस्व विभाग के अभिलेखों में अंकित करा लेंवे प्रथम पक्ष की रजामन्दी वास्ते दाखिल

रामकिशोरी मीरा देवी

९।१।२००९।।१।

खारिज द्वारा बयनामा हाजा समझी जावे और यदि कोई आवश्यकता बाबत दाखिल खारिज प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर व बयान आदि की होगी प्रथम पक्ष देने के पांबन्द होंगे और समस्त शरायत विक्रय पत्र की पाबन्दी उभय पक्ष व उनके वारिसान व कायम मुकामान पर लाजिम व वाजिब होगी और पाबन्द रहेंगे ।

अतः बखूबी सुन व समझ व पढ़कर अपने होशहवास की दुरूस्ती में बिना किसी के सिखलाये व समझाये व बरगलाये व बिला दाब नाजायज किसी के अपनी राजी खुशी से यह विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

<u>विक्रय धन प्राप्ति का विवरण</u>

मुबलिग 3,40,000/– तीन लाख चालीस हजार रूपया सम्पूर्ण विक्रय मूल्य विक्रेतागण ने क्रेता से नगद समक्ष गवाहान प्राप्त कर लिया । अब विक्रयमूल्य के सम्बन्ध में विक्रेतागण को क्रेता से कुछ भी धन प्राप्त करना शेष नहीं रहा ।

विक्रेता संख्या (1) का बॉया तथा दॉया निशानात पंजा :–

अगूँठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

अगूँठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

हीरा देवी

रामकिशोरी

विक्रेता संख्या (2) का बॉया तथा दॉया निशानात पंजा :-

अगूँठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

अगूँठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

क्रेता की ओर से उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री धनंजय तिवारी का बॉया तथा दॉया निशानात पंजा :-

अगूँठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

अगूँठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

रामकिशोरी मीरा देवी

गवाहान :–

(1)

राम किशोरी

प्रथम पक्ष

हीरा देवी

(2)

द्वितीय पक्ष

प्रारूप अपने कार्यालय में तैयार कर

मुद्रित कराया

(अरविन्द कुमार श्रीवास्तव)

एडवोकेट

कोर्ट कम्पाउण्ड, कानपुर नगर ।

LOCATION PLAN OF AGRICULTURE LAND OF
ARAZI NO— 10 min AT NARAMAU
BANGER TEH/DISTT - KANPUR NAGAR
SOLD AREA - 230 33 SQM

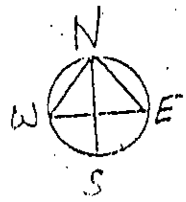

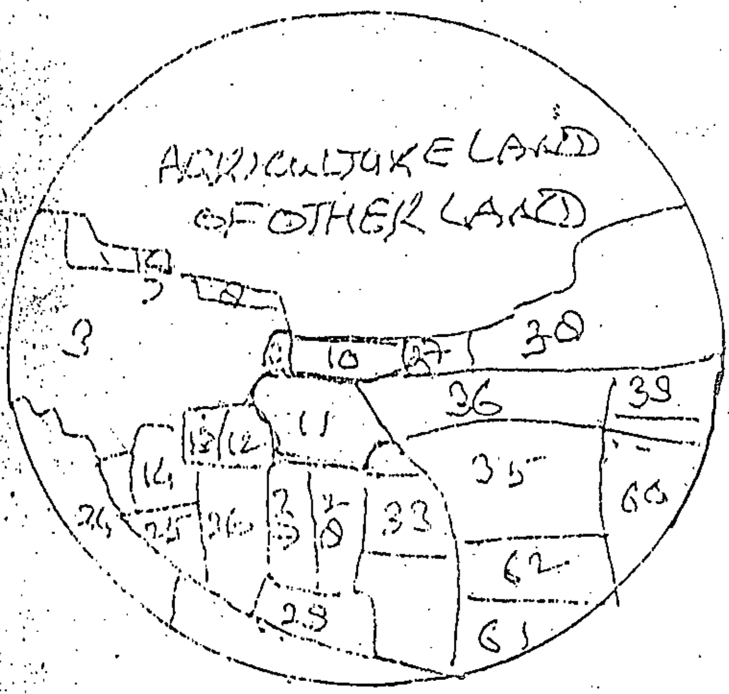

SIGN. OF SELLER SIGN. OF PURCHASER SIGN. OF ENGINEER

रामकिशोरी
मीरा देवी

Er. [illegible] kant Tripathi
Civil Engineer
Approved by K.D.A.
54/39, Ram Market
Chaturbhuj Ganj
Naya Ganj, Kanpur

आज दिनांक **<u>05/09/2009</u>** को

वही सं **<u>1</u>** जिल्द सं **<u>4232</u>**

पृष्ठ सं. **<u>91</u>** से **<u>120</u>** पर कमांक **<u>2723</u>**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस0के0त्रिपाठी

उप निबन्धक (जोन-2)

कानपुर नगर।

5/9/2009